प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पत्र

मातृ सदन, कनखल,
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड,
13 जून, 2018

प्रिय छोटे भाई नरेन्द्र मोदी,

माँ गंगा जी की दुर्दशा को तुम्हारी बहु-स्तरीय सरकार और सरकारी मण्डलियों (जैसे नमामि गंगे) द्वारा पूर्ण अवहेलना ही नहीं, जानते-बूझते इरादतन किये जा रहे माँ गंगा जी और पूरे पर्यावरण-निःसर्ग-प्रकृति को पहुँचाये जा रहे अहित के विषय को लेकर, मैंने तुम्हें एक खुला पत्र 24 फरवरी, 2018 को उत्तरकाशी से लिखा था जिसे श्रीनगर गढ़वाल पोस्ट ऑफिस से स्पीडपोस्ट किया गया था। पत्र की प्रति, जिस पर स्पीडपोस्ट कराने की रशीद की प्रतिकृति भी है, तुम्हें याद दिलाने और प्रमाण-हेतु साथ लगा रहा हूँ।

जैसा मुझे पहले ही जानना चाहिए था, साढ़े तीन महीने के 105 दिन में, न कोई प्राप्ति सूचना, न कोई जवाब या प्रतिक्रिया या माँ गंगा जी या पर्यावरण के हित में (जिससे माँ गंगा जी या निःसर्ग का कोई वास्तविक हित हुआ हो) कोई छोटा सा भी कार्य। तुम्हें कहाँ फुर्सत माँ गंगा जी की दुर्दशा या मुझ जैसे बूढ़ों की व्यथा की ओर देखने की?

ठीक है भाई, मैं ही क्यों व्यथा झेलता रहूँ। मैं भी तुम्हें कोसते हुए और प्रभु राम जी से तुम्हें माँ गंगा जी की अवहेलना-पूर्ण दुर्दशा और अपने बड़े भाई की हत्या के लिये पर्याप्त दण्ड देने की प्रार्थना करता हुआ, **शुक्रवार 22 जून, 2018 (गंगावतरण-दिवस) से निरन्तर उपवास करता हुआ प्राण त्याग देने के निश्चय का पालन करूँगा।** आशा तो नहीं है कि तुम्हारे पास ध्यान देने का समय होगा, पर यदि राम जी के प्रताप से, माँ गंगा जी की सुध लेने का मन बने तो माँ के स्वास्थ्य के हित में निम्न कार्य तुरन्त आवश्यक है:

1. गंगा जी के लिये गंगा-महासभा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम ड्राफ्ट 2012 पर, तुरन्त संसद द्वारा चर्चा कराकर पास कराना (इस ड्राफ्ट के प्रस्तावकों में मैं, एडवोकेट एम.सी. मेहता और इ. परितोष त्यागी शामिल थे), ऐसा न हो सकने पर उस ड्राफ्ट के अध्याय-1 (धारा 1 से धारा 9) को राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा तुरन्त लागू और प्रभावी कराना।
2. उपरोक्त के अन्तर्गत अलकनन्दा, धौलीगंगा, नन्दाकिनी, पिण्डर तथा मन्दाकिनी पर सभी **निर्माणाधीन/प्रस्तावित** जलविद्युत परियोजना तुरन्त निरस्त करना।
3. उपरोक्त ड्राफ्ट अधिनियम की धारा 4(D) वन कटान तथा 4(F) खनन, 4(G) किसी भी प्रकार की खुदान पर पूर्ण रोक तुरन्त लागू कराना, विशेषतया हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र में।
4. मेरे 24 फरवरी के पत्र की अपेक्षा-ग में वर्णित गंगा-भक्त परिषद का Provisional गठन, (जून 2019 तक के लिये) तुम्हारे द्वारा नामांकित 20 सदस्यों का **जो गंगा जी और केवल गंगा जी के हित में काम करने की शपथ गंगा जी में खड़े होकर लें** और गंगा जी से जुड़े

सभी विषयों पर इसका मत निर्णायक माना जाये (तुम स्वयं तो यह शपथ ले नहीं पाओगे शायद। क्योंकि तुम संविधान से जुड़े हो)

प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दें और अपने अच्छे बुरे सभी कर्मों का फल भी। माँ गंगा जी की अवहेलना, उन्हें धोखा देने को किसी स्थिति में माफ न करें।

तुम्हारा माँ-गंगा-भक्त बड़ा भाई

(स्वामी ज्ञानस्वरूप सानन्द)
(सन्यास पूर्व प्रो. गुरुदास अग्रवाल)

प्रति:

माननीय नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री (भारत)
नई दिल्ली